

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 100]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 3 मार्च 2022—फाल्गुन 12, शक 1943

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2022

क्र. एफ-1-1-2022-अड़तीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश अराजपत्रित तृतीय वर्ग सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भरती तथा पदोन्नति नियम, 1974 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-दो (ब) में, "प्रयोगशाला तकनीशियन" और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पद और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		"प्रयोगशाला तकनीशियन	1471	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	-1"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संघमित्रा गौतम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2022

क्र. एफ-1-1-2022-अड़तीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1-2022-अड़तीस-1, दिनांक 3 मार्च 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संघमित्रा गौतम, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd March 2022

F. No. 1-1-2022-XXXVIII-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Non-Gazetted-Class-III (Collegiate Branch) Recruitment and Promotion rules, 1974, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in Schedule-II (B), for the post 'Laboratory Technician' and entries relating thereto, the following post and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		"Laboratory Technician	1471	50 Percent	50 Percent	—."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANGHMITRA GAUTAM, Dy. Secy.